

प्रेषक,

ममता श्रीपास्त्राव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय मान्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

दिक्षा (7) अनुमान

लखानऊ: दिनांक ॥ मार्च, 2008

विषय :— आनन्द मेमोरियल एकेजन्सी विलेइयागोज आजमगढ़ को सी०बी०ए०स०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निषेच हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय को सी०बी०ए०स०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है।—

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध सभिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रशान अनुसूचित जाति/जनजाति के सेवाकी वक्तों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ८०प्र०मान्यमिक शिक्षा परिषद्/वैतिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न फ़क्ताओं के लिए नियमित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मौग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय मान्यमिक शिक्षा परिषद से भान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सैट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन नईदिल्ली/कॉर्सिल कार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकजामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परिषद् से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ८०प्र० मान्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त भान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रुपता समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुबन्ध वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा इहाँ बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर मान्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2— उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी ब्रकार की चूक या शिथिलता वरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रभाग पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

मददीय,

(ममता श्रीदास्तब)
उप सचिव।

प्र० संख्या एवं दिनांक तदैस

प्रतिविमि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित :-

- 1— दिक्षा निदेशक(गा०)उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़।
- 3— जिला विद्यालय नियोजक आजमगढ़।
- 4— नियोजक आंसू भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- 5— प्रबंधक आनन्द मेमोरियल एकेडमी विलायियारंज आजमगढ़।
- 6— गार्ड दुक़ ।

आज्ञा से,

१०/११
(ममता श्रीदास्तब)
उप सचिव।



B. Minedi
PRINCIPAL
Anand Memorial Academy
Bilariyaganj, Azamgarh (U.P.)